अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
31.7.19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट 4/1से 4/5 व 6 उपस्थित। अपील में समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश अपील दिनांक 01.08.2019 को पेश हो।	
1.8.19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट 4/1से 4/5 व 6 उपस्थित। अपील में समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9.08.2019 को पेश हो।	
9.8.19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट 4/1से 4/5 व 6 उपस्थित। अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुने 30 दिवस से अधिक हो चुके है। इसलिए अपील में बहस अभिभाषक उभयपक्ष पुनः सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश अपील दिनांक 16.08.2019 को पेश हो।	
16.8.19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट 4/1से 4/5 व 6 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1से 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका पारिवारिक सजरा सलंग्न किया गया। दौराने उक्त प्रतिवादीगण के कई मर्तबा नोटिस प्रस्तुत किये गये, लेकिन कुछ प्रतिवादीगण यथा 8,10 से 12 ने जानबूझ कर नोटिस तामील नहीं किये, जिस पर अखबार साया करवाने हेतु निवेदन किया गया लेकिन पक्षकारान अस्वस्थ्य रहने एवं देशी ईलाज करवाने के कारण लम्बे समय तक अस्वस्थ्य रहने के कारण अभिभाषक से आकर नहीं मिल सका, जिससे प्रकरण में अखबार साया नहीं करया जा सका। प्रकरण को दिनांक 30.12.2011 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने दिनांक 10.05.2010 की पालना नहीं किये जाने के कारण अदम पालना में वादी का वाद का खारिज कर दिया। प्रतिवादी संख्या 01,02,04,06, 07, 09,12 के नोटिस तामील हो गये थे जिनके द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिससे दिनांक 18.09.2009 को जवाब दावा बंद कर दिया गया था एवं प्रतिवादी संख्या 3, 5 व 13 का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनकी कायममुकाम कार्यवाही भी कर दी गई एवं वारिसान के नोटिस भी सलंग्न प्रस्तुत किये गये थे तथा प्रतिवादी संख्या 08, 10 से 12 जो सभी ग्राम लाडपुरा व भूडोल के निवासी है लेकिन जानबूझ कर उन्होने नोटिस प्राप्त नहीं किये इसी कारण अखबार साया करवाने हेतु निवेदन किया गया। लेकिन पक्षकार वादी/अपीलांट अत्यनत बुजुर्ग होने एवं लगातार अस्वस्थ्य रहने एवं चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहने के कारण अभिभाषक द्वारा कई मर्तबा सूचना देने के बावजूद भारी शारीरिक रूग्णता के कारण उपस्थित नहीं हो पाया जिससे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर दिया। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2011 को निरस्त फरमा कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौरान जवाब अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांटस द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस अखबार साया नहीं कराये जाने के कारण वादी के वाद को नॉन कम्पालाईन्स में खारिज किया है जो विधि सम्मत हैं। वादी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर # अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

284/12/223 भंवरसिंह बनाम छोटू वगैरा

तारीख पेशी	20121000048 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री लक्ष्मण नाथ पेशी श्री मंगलाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
लगातार	निगराजी माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर में करनी चाहिए थी। अपील न्यायालय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार नहीं नही है। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अभिभाषक वादी द्वारा शेष प्रतिवादी संख्या 08,10,11,12 एवं मृत प्रतिवादी संख्या 03, 05, 13 के वारिसान की तलबी हेतु आदेश दिनांक 10.05.2010 की पालना में अखबार साया नोटिस प्रस्तुत नहीं करने कारण वाद को दिनांक 30.12.2011 को खारिज किया है। उक्त आदेश की अपील जाप्ता दीवानी के आदेश 43 के तहत् न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। (हस्ताक्षर) 16/8/15 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	